19-10-2022

पक्षकारान वकील उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन करते हुए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान वकील को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण वकील की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 2.08 बीघा व खसरा नम्बर 266/41 रकबा 33.12 बीघा ग्राम गालानाडी तहसील सिणधरी में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण तथा विप्रार्थीगण के बीच पैदावार संबंधी खेतों के सेढ़ा को लेकर आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान् मे तनाजा रहता है। विप्रार्थीगण सीमाज्ञान करने के बावजूद भी सेढामाठ मान नहीं रहे है, इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गालानाडी पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 2.08 बीघा व खसरा नम्बर 266/41 रकबा 33.12 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थीगण की बहस है कि प्रकरण मे वर्णित तथ्यों अनुसार खसरा नम्बर 266/41 के संबंध में घोषणात्मक वाद दीपाराम बनाम सांवलाराम, न्यायालय श्री में विचाराधीन है(जवाब में सहवन में सांवलाराम बनाम कालूराम टंकित हो गया) जिसकी तारीख पेशी भी आज है तथा जिसका फैसला होने के बाद प्रार्थीगण अपने हिस्से में नेखमबंदी करने के अधिकारी है। उक्त प्रकरण के विचरण के दौरान यदि इस प्रकरण के जरिये नेखमबंदी की कार्यवाही की जाती है तो पक्षकारान के द्वारा चाही गई इस्तदुआ प्रभावित होगी तथा घोषणात्मक वाद के निष्पादन की दशा में प्रथम दृष्टया कब्जा काश्त भी प्रभावित होगें, ऐसी स्थिति में जब तक कि मूल वाद मुकदमा नं. 159/2019 दीपाराम बनाम सांवलाराम में विधिक निर्णय जरिये साक्ष्य/सबूत के होने तक इस नेखमबंदी की कार्यवाही को स्थगित रखी जाये।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा आवेदन सं. 89/2019 अन्तर्गत धारा 111,128 सावंलाराम बनाम कालुराम का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 2.08 बीघा व खसरा नम्बर 266/41 रकबा 33.12 बीघा ग्राम गालानाडी तहसील सिणधरी की पक्की नेखमबंदी हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि मूल खसरा नम्बर 266/41 रकबा 33.12 बीघा भूमि के संबंध में पक्षकारान द्वारा घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करते हुए पैतृक खातेदारी जोत में अपने हिस्से से अधिक भूमि बैचान करने की इस्तदुआ को दृष्टिगत रखते हुए पेश किया है, जो कि न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि पक्षकारान के म[illegible] विवाद का मूल कारण पक्षकारान के पैतृक जोत [illegible] कब्जा काश्त को लेकर है। यदि उक्त आवेदन पत्र पर, मूल वाद [illegible]9/2019 दीपाराम बनाम सांवलाराम में जरिये साक्ष्य/सबूत के विधिवत निर्णय से पूर्व किसी प्रकार का कोई आदेश पारित कर दिया जाता है अथवा यदि वाद के निर्णय से वर्तमान रेकर्ड में कोई रदोबदल की परिस्थितियां उत्पन्न होती है अथवा मौका परिस्थितियों में कोई भिन्नता प्रकट होती है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

89/2019

के मध्य कब्जा काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न होने के साथ ही अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ़ जायेगी तथा विवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की प्रबल संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन के अग्रिम कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उपरोक्त स्थिति को मददेनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र, मूल वाद 159/2019 दीपाराम बनाम सांवलाराम में जरिये साक्ष्य/सबूत के विधिवत निर्णयाधीन रखते हुए खारिज किया जाकर पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि विचाराधीन मूल वाद के निर्णय के अनुसरण में यदि वर्तमान रेकर्ड, मौका एवं कब्जा स्थिति में कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होती हो तो इसी आवेदन को पुनः बरामदगी करवाते हुए इस्तदुआ के अनुरूप आगामी आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:19 IST
Reason: SelfAttested